Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No.2005/TG-V/26/01. New Delhi, dated. 24.08.2015.

The Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

Commercial Circular No.49 /2015.

Sub: Allowing ticket checking staff to permit the passengers to board Suvidha Express in case vacant accommodation is still available after the stopping of booking at current reservation counter.

Please refer to this office letter No.TC-II/2910/2013/Dynamic Pricing/C dated 02.06.2015 (Commercial Circular No.33/2015 dated 02.06.2015) wherein the details about running of Suvidha Trains were circulated to all Zonal Railways. It was inter-alia advised that the vacant accommodation in trains after preparation of reservation charts can be booked at the current counter of the train originating station at the last price sold for that class and other supplementary charges like reservation fee, superfast charges, service tax, if applicable etc to be levied in full. Instances were, however, brought to notice where after departure of train, although accommodation was available but the same could not be offered to the passengers available at road side station as no clear cut guidelines were available on this account.

2. The matter has been examined in consultation with Finance Directorate of Ministry of Railways and it has been decided as under.

- If vacant berths are available in Suvidha Trains after preparation of charts, first these berths should be made available at the current counter for booking at the train originating stations for booking on first come first serve basis at the last price sold for that class after levying of supplementary charges in full.
- After booking at the current counter has been stopped and vacant accommodation is still available, the onboard ticket checking staff should be authorized to allow passengers, at train originating station to board the train on the authority of prescribed minimum class of ticket required for that class and on realization of difference, between fare indicated on the ticket and the last price sold for that class in Suvidha trains, along with other supplementary charges, to be levied in full.
- For booking from intermediate station against vacant accommodation available on board ticket checking staff may be allowed to book passengers on the same pattern.
- The passenger should purchase minimum class of tickets, as indicated below, both at originating and intermediate station, from general booking counter, before boarding permission is granted by on-board ticket checking staff. Under no circumstances passenger should board the reserved coaches without the permission of onboard ticket checking staff.

Class of Travel	Minimum class of Ticket required for boarding at Originating and Intermediate Station.
AC First Class, AC Two Tier, AC Three Tier	Ist Class Ordinary Tickets
Sleeper Class/Reserved Seating	II Mail/Express

3. This issue with the concurrence of Finance Directorate of Ministry of Railways.

(Vikram Singh)
Director, Passenger Marketing
Railway Board

-------2/-

No.2005/TG-V/26/01. New Delhi, dated 25.08.2015.

Copy for information and necessary action to:-

I. DAI(Railways), New Delhi.
II. FA&CAO, All Zonal Railways
III. Principal Directorate of Audit

Manoj
(M. K. Dubey)
for Financial Commissioner (Railways)

No.2005/TG-V/26/01. New Delhi, dated. .08.2015.

Copy for information and necessary action to:

I. AM(B), Adv(Finance), AM(IT), AM(C), Adv(Vig),
II. EDF(C), ED(Chg), ED(C&IS), ED(T&C), EDV(T),
III. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
IV. The Principals, Zonal Training Centres, Central Railway/Bhusawal, Eastern Railway/Alipur duar, Southern Railway/Trichy, South Eastern Railway/Sini, Western Railway/Udaipur.
V. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), National Federation of Indian Railwaymen(NFIR).
VI. Secretary General, Federation of Railway Officers Association(FROA), Indian Railway Promotee Officer Federation (IRPOF).All India RPF Association, National Federation of Railway Pensioner Organization.

VS 25/8/15
(Vikram Singh)
Director, Passenger Marketing
Railway Board

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2005/टीजी-V/26/01 **नई दिल्ली, दिनांक 25.08.2015**

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

2015 का वाणिज्य परिपत्र सं. 49

विषय: यदि करंट आरक्षण काउन्टर पर बुकिंग रूकने के बाद भी खाली बर्थ उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में यात्रियों को सुविधा एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए टिकट जांच कर्मचारियों द्वारा अनुमति दी जाना।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 02.06.2015 का पत्र सं. टीसी-II/2910/2013/डायनेमिक प्राइसिंग/सी (दिनांक 02.06.2015 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 33/2015) का अवलोकन करें जिसमें सभी क्षेत्रीय रेलों को सुविधा गाडियों के चलने के बारे में ब्यौरे परिपत्रित किए गए थे। अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया था कि आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद गाडियों में खाली पड़ी बर्थों को उस श्रेणी के लिए बिक्री किए गए अंतिम मूल्य पर गाड़ी आरंभ होने वाले स्टेशन के करंट काउन्टर पर बुक किया जा सकता है और अन्य अनुपूरक प्रभार जैसे, आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार, सेवा कर, यदि लागू हो, की पूरी राशि ली जाएगी। बहरहाल, ऐसे मामले ध्यान में लाए गए, जहां गाड़ी के प्रस्थान के बाद यद्यपि बर्थ उपलब्ध थी, परन्तु मध्यवर्ती स्टेशन पर उपलब्ध यात्रियों को नहीं दी जा सकी क्योंकि इस संबंध में कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश उपलब्ध नहीं थे।

2. इस मामले की रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जांच की गई और इस संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया है:

- यदि चार्ट तैयार होने के बाद सुविधा गाडियों में खाली बर्थ उपलब्ध हो तो सबसे पहले इन बर्थों को पूरी राशि में अनुपूरक प्रभार लगाने के बाद उस श्रेणी के बेचे गए अंतिम मूल्य पर पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर गाड़ी आरंभ होने वाले स्टेशन पर बुकिंग के लिए करंट काउन्टर पर उपलब्ध कराना चाहिए।
- जब करंट काउन्टर पर बुकिंग बन्द हो गई हो और खाली बर्थ अभी भी उपलब्ध हो, तो ऑनबोर्ड टिकट जांच कर्मचारियों को उस श्रेणी के लिए अपेक्षित टिकट की निर्धारित न्यूनतम श्रेणी के प्राधिकार पर तथा टिकट पर दर्शाए गए किराए और लगाए जाने वाले अन्य अनुपूरक प्रभारों की पूरी राशि के साथ-साथ सुविधा गाड़ी में उस श्रेणी के बेचे गए अंतिम मूल्य के बीच का अंतर वसूल करके गाड़ी आरंभ होने वाले स्टेशन पर यात्रियों को गाड़ी में चढ़ने की अनुमति देने के लिए प्राधिकृत करना चाहिए।
- उपलब्ध खाली बर्थों के तहत मध्यवर्ती स्टेशन से बुकिंग के लिए ऑन बोर्ड टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों को उसी तरीके से यात्रियों को बुक करने की अनुमति दी जाए।
- ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ द्वारा गाड़ी में चढ़ने की अनुमति दिए जाने से पूर्व यात्री को आरंभिक और मध्यवर्ती दोनों स्टेशनों पर सामान्य बुकिंग काउंटर से नीचे

दर्शाए गए अनुसार न्यूनतम श्रेणी की टिकटें खरीदनी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ऑन बोर्ड टिकट चेकिंग स्टाफ की अनुमति के बिना यात्री को आरक्षित कोच में नहीं चढ़ना चाहिए।

यात्रा की श्रेणी	**आरंभिक और मध्यवर्ती स्टेशन पर गाड़ी में चढ़ने के लिए अपेक्षित टिकट की न्यूनतम श्रेणी**
वातानुकूलित प्रथम श्रेणी, वातानुकूलित टू टियर, वातानुकूलित थ्री टियर	प्रथम श्रेणी सामान्य टिकटें
शयनयान श्रेणी/आरक्षित सीटिंग	द्वितीय श्रेणी मेल/एक्सप्रेस

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाता है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

सं. 2005/टीजी-V/26/01 **नई दिल्ली, दिनांक 25.08.2015**

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

I. डीएआई (रेलें), नई दिल्ली
II. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी क्षेत्रीय रेलें
III. प्रिंसिपल, लेखा निदेशालय

sd/-
कृते वित्त आयुक्त (रेलें)

सं. 2005/टीजी-V/26/01 **नई दिल्ली, दिनांक 25.08.2015**

सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि प्रेषित:

I. एएम(बजट), सलाहकार(वित्त), एएम(आईटी), एएम(सी), सलाहकार(सतर्कता)
II. ईडीएफ(सी), ईडी(कोचिंग), ईडी(सी एण्ड आईएस), ईडी(टी एण्ड सी), ईडीवी(टी)
III. प्रबंध निदेशक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
IV. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/त्रिची, दक्षिण पूर्व रेलवे/सीनी, पश्चिम रेलवे/उदयपुर।
V. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इण्डिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), नेशनल फेडरेशन ऑफ इण्डियन रेलवेमेन (एनएफआईआर)।
VI. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन (फ्रोआ), इण्डियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन (आईआरपीओएफ), ऑल इण्डिया आरपीएफ एसोसिएशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवे पेंसनर्स ऑर्गनाइजेशन.

(विक्रम सिंह)
निदेशक, यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड